न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील नम्बर :– 35/2021 (RCMS No. :-2021/39)

उनवानी प्रकरण :–
अशोक कुमारशर्मा पुत्र श्री रामप्रतापशर्मा जाति ब्राहमण निवासी गोविन्दवाटिका रोड, नीयर रेल्वे लाईन वाड नम्बर 45 धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर–––––अपीलान्ट

बनाम्

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2–पटवारी हल्का ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर –––––– रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.12.2019
तहसीलदार धौलपुर प्र.सं. 169/2019
उनवानी सरकार बनाम अशोक शर्मा

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री किशनसिंह त्यागी अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्टस की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय **दिनांक :–.06.07.2021**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार धौलपुर के निर्णय दिनांक 18.12.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि रैस्पो0संख्या–2 की गलत रिपोर्ट के आधार पर रैस्पो0संख्या–1 ने अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के आधीन नोटिस दिया जिसमें रैस्पो0 संख्या–1 ने अपीलान्ट के विरूद्व आक्षेपित आदेश पारित कर अपीलान्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की सम्पत्ति से बेदखल करने के आदेश दिये है तथा अपीलान्ट के स्वामित्व व आधिपत्य के भू–खण्ड पर साधिकार किये गये निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश से असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व व पत्रावली पर सिद्व तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव का कोई भी विवेचन नहीं कर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

विधि एवं तथ्य की भूल की है। अपीलार्थी का कब्जा आराजी खसरा नम्बर 896 एकवा 1 बीघा 4 बिस्वा ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर पर है। खसरा नम्बर 847 के किसी भी अंश पर नहीं है। अपीलार्थी के पूर्व स्वामी गोविन्द प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद ने कार्यालय नगर पालिका धौलपुर से दिनांक 6.5.2003 में भूमि रूपान्तरण पटटा विलेख प्राप्त किया था जिसमें रैस्पो0संख्या 1 अधीन न्यायालय की रिपोर्ट संलग्न है कि भू-खण्ड संख्या 5 जिसका अपीलार्थी का पूर्व स्वामी गोविन्द प्रसाद स्वामी व आधिपत्यधारी है। इसी भू-खण्ड को अपीलार्थी ने क्रय कर निर्माण किया है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी रिपोर्ट से पाबन्द है तथा धारा 91 एल आर.एक्ट का नोटिस अपीलान्ट के विरूद्ध जारी करने से प्रतिबन्धित है। इसलिये आक्षेपित आदेश विधि विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने भूमि रूपान्तरण पटटा गोविन्दप्रसाद से अपने नाम नगरपरिषद धौलपुर से अन्तरण अपने नाम कराया है तथा निर्माण स्वीकृति प्राप्त की है। इन दोनो कार्यवाही से पूर्व इस्तहार आम दैनिक समाचार पत्र आम में रैस्पो0संख्या-1 अधीन न्यायालय ने कोई इस्तहार पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। वर्तमान प्रकरण में गंभीर सीमा विवाद है जिसका निस्तारण धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही में किया जाना संभव नहीं है इसलिये आक्षेपित आदेश विरूद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रैस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी का कब्जा आराजी खसरा नम्बर 896 एकवा 1 बीघा 4 बिस्वा पर है। खसरा नम्बर 847 के किसी भी अंश पर हमारा कोई कब्जा नहीं है। अपीलार्थी के पूर्व स्वामी गोविन्द प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद ने कार्यालय नगर पालिका धौलपुर से दिनांक 6.5.2003 में भूमि रूपान्तरण पटटा विलेख प्राप्त किया था। अपीलान्ट ने उक्त आराजी रजिस्टर्ड बयनामा से खरीदी है जिसका हमारे पास भूमि रूपान्तरण

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

पटटा है। नगर पालिका क्षेत्र में धारा 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपीलान्ट ने अपने तर्को समर्थन में आर आर डी 1982 पेज 314, आर आर टी 2006(।) पेज 272 एव 661, आर आर टी 2011(2) पेज 1413 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि आराजी खसरा नम्बर 847 रकवा 2 वीधा 05 विस्वा कि किस्म राजस्व रिकार्ड में बंजड (सिवायचक) दर्ज है जो कि सरकारी भूमि है उक्त सरकारी भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बिना किसी अधिकार अवैध कब्जा कर रकवा 0.01 विस्वा (50 वर्गगज) पर वाउन्ड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त सरकारी भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किया गया है तथा अवैध निर्माण को घ्वस्त किये जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.12.2019 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । अपीलान्ट का कथन है कि अपीलार्थी का कब्जा आराजी खसरा नम्बर 896 रकवा 1 वीधा 4 विस्वा पर है। खसरा नम्बर 847 के किसी भी अंश पर हमारा कोई कब्जा नहीं है। खसरा नंम्बर 847 ग्राम फिरोजपुर आवादी की भूमि है जो नगर परिषद धौलपुर में स्थित है इसलिये अप्रार्थी के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन सत्य नहीं है कि उक्त विवादित आराजी आवादी की भूमि हो नगर परिषद धौलपुर में दर्ज हो। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 847 रकवा 2 वीधा 05 विस्वा की किस्म बंजड (सिवायचक) दर्ज रिकार्ड है जो सरकारी भूमि है। जिस पर अतिक्रमी के विरूद्व धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधान लागू होगें। एल आर एक्ट की धारा 140 के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख की सब प्रविष्टियॉ तव तक शुद्व मानी जायेगी जब तक कि प्रतिकूल सावित न किया जाये। अपीलान्ट द्वारा बिना किसी अधिकार अवैध कब्जा कर रकवा 0.01 विस्वा (50 वर्गगज) पर वाउन्ड्री बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

प्रकार आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील, अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.12.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर, धौलपुर